मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:08.04.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना सन्तनगर पर गैर इरादतन हत्या से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी- एडीजीसी पंकज सिंह, विवेचक निरीक्षक रामनरायण यादव, पैरोकार-मुख्य आरक्षी उमेश यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी आशुतोष चन्द व महिला मुख्य आरक्षी प्रज्ञा चतुर्वेदी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03, मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा थाना सन्तनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-81/2023 धारा 304 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त अरविन्द कोल उर्फ डागा पुत्र स्व0राजमनी निवासी पटेहरा थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर को 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी।